25/9/2025 पत्रावली पेश। अभिभावक प्रार्थी एवं सरकार पेशकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते आमंत्रण आपत्ति दिनांक 7/10/2025 को पेश हो।

7/10/2025 पत्रावली पेश। अभिभावक प्रार्थी एवं सरकार पेशकार उपस्थित। जवाब अप्रार्थी पेश किया No objection आया। प्रति अभिभावक प्रार्थी को दिलाई गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभावक प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी एवं आदेश दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।

पेशकार

16.10.25 पत्रावली पेश। अभिभावक प्रार्थीया उप०। अभिभावक प्रार्थीया द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु एक और अवसर चाहा। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य एवं आदेश दिनांक 27/10/25 को पेश हो।

27.10.2025 पत्रावली पेश। अभिभावक प्रार्थीया उप०। सरकार पेशकार उपस्थित। प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि कंवरबाई व गंगाबाई एक ही हो अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

प्रकरण संख्या :– 52/25
उनवान :– मांगीबाई बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:–	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–	52/25
दायर दिनाँक :–	17.06.2025
निर्णय दिनाँक:–	27.10.2025

उनवान :–

मांगीबाई
बनाम
सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री कैलाशचन्द वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थीया मांगीबाई पुत्री गंगाराम पत्नी आशाराम जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा हाल मुकाम रामगंज मण्डी तहसील रामगंज मण्डी जिला कोटा राजस्थान ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम टोडरीमीरा पटवार मण्डल टोडरीमीरा तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 405(पुराना 314) की कुल किता 15 की 3.0432 हेक्टेयर शामलाती आराजी के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीया का नाम "कंवरीबाई पुत्री गंगाराम जाति लोधा" दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थीया का नाम "मांगीबाई पुत्री गंगाराम पत्नी आशाराम" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थीया के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थीया ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम टोडरीमीरा की उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम "कंवरीबाई" के स्थान पर "मांगीबाई " संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीया को

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 52/25
उनवान :– मांगीबाई बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/सरकार पैरोकार को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी/सरकार पैरोकार उक्त वाद में प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे साबित होता हो कि कंवरी बाई एवं मांगीबाई एक ही है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि मांगीबाई ही कंवरी बाई है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा मांगीबाई को गलत तरीके से जमाबंदी में कंवरीबाई दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना